न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/2018 जिला– सीकर

मेघाराम उर्फ मेवाराम पुत्र श्री त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र श्री बक्शाराम जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
2. शिवदयाल पुत्र श्री घडसी जांगिड।
3. मदन लाल पुत्र श्री घडसी जांगिड।
4. रतन पुत्र श्री घडसी जांगिड।
5. सोहनी देव पत्नि श्री ओमा जांगिड।
6. विजयपाल पुत्र श्री ओमा जांगिड।
7. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमा जांगिड।
8. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमा जांगिड।
9. किरण देवी पत्नि अनिल जांगिड।
10. सौरव पुत्र श्री अनिल जांगिड नाबालिग जरिये माता किरण देवी पत्नि श्री अनिल।
11. गौरव पुत्र श्री अनिल जांगिड नाबालिग जरिये माता किरण देवी पत्नि श्री अनिल।
12. राधिक पुत्र श्री अनिल जांगिड नाबालिग जरिये माता किरण देवी पत्नि श्री अनिल निवासी ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार सीकर, तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 27.06.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री भगवान सहाय शर्मा

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 27.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट मेघाराम उर्फ मेवाराम द्वारा प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट खसरा नम्बर 87/294 का खातेदार है, को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश प्रसारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धातो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं रिपोर्ट तहसीलदार प्रस्तुत हुई। उक्त रिपोर्ट में कही भी खसरा नम्बर 87/294 के संबध में नही की गई है न हो सकती थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की अनदेखी करते हुये निर्णय प्रसारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार के पत्रांक क0अ0/16/120 दिनांक 11.01.2016 में जो प्रस्तुत की है वह खसरा नमबर 86, 482/85, 483/85, 87/284, 318/88, 319/88 व 90 हेतु है जबकि उन्होने खसरा नम्बर 87/294 के संबंध में कोई रिपोर्ट नही थी। यही नही पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी उसका कोई उल्लेख नही है। उक्त आवेदन धारा 136 में पोषणीय नही था केवल मात्र नियमित दावा ही हो सकता था। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकतिक नियमो के प्रतिकुल होने से एवं

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

धारा 136 के प्रावधानो व उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रतिकुल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट सख्या 1 के कब्जे काश्त की ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 73 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के दौराने भू प्रबंधक कार्यवाही नये खसरा नम्बर 86 रकबा 4.15 है0 कायम किया गया। इस प्रकार बीघा को हेक्टर में परिवर्तन कररने पर 18 बीघा 10 बिस्वा का 4.68 है0 बनता है परन्तु 4.68 है0 के बजाय 4.15 है0 ही अंकित कर 0.53 है0 कम कर दिया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 12 के पूर्वजो के खाते कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा नम्बर 78 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा के दौराने सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 90 रकबा 3.18 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर कायम किये गये, जिसका रकबा भी 3.28 है0 के बजाय 3.18 है0 ही अंकित कर रकबा में 0.10 है0 की कमी कर दी गयी। ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 72 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के भी नये खसरा नम्बर 73 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.19 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.80 है0 व खसरा नम्बर 84/295 मिन 0.09 है0 कायम कायम किये गये जिनका पुराने रकबे के अनुसार रकबा 2.93 है0 के स्थान पर रकबा 3.12 है0 कायम कर रकबे में 0.19 है0 की बढोतरी की गयी। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 76 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 87 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 87/294 रकबा 1.81 है0, खसरा नम्बर 84/295 रकबा 0.10 है0 कायम किये गये जिनका रकबा पुराने रकबे 1.80 है0 के बजाय 2.16 है0 कायम किया गया अर्थात 0.36 है0 बढा दिया गया। पुराने खसरा नम्बर 77 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 88 रकबा 1.78 है0 कायम किया गया जो भी 0.08 है0 बढा दिया गया। जिसे दुरूस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट कमांक 120 दिनांक 11.01.2016 के अनुसार दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगी के आदेश दिये गये। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद भूमि ख0न0 87/294 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा से संबंधित है। रेस्पोडेंट्स सख्या 1 से 12 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 73 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के दौराने भू प्रबंधक कार्यवाही नये खसरा नम्बर 86 रकबा 4.15 है0 कायम किया गया जिसमें बीघा को हेक्टर में परिवर्तन करने पर 0.53 है0 कम कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 12 के पूर्वजो के खाते कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा नम्बर 78 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा के दौराने सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 90 रकबा 3.18 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर कायम किये गये, जिसका रकबा में 0.10 है0 की कमी की गई, पुराने खसरा नम्बर 72 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के भी नये खसरा नम्बर 73 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.19 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.80 है0 व खसरा नम्बर 84/295 मिन 0.09 है0 कायम कर रकबे में 0.19 है0 की बढोतरी की गयी। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 76 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 87 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 87/294 रकबा 1.81 है0, खसरा नम्बर 84/295 रकबा 0.10 है0 कायम कर 0.36 है0 बढा दिया गया। पुराने खसरा नम्बर 77 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 88 रकबा 1.78 है0 कायम कर रकबा 0.08 है0 बढा दिया गया में दुरूस्ती चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट्स के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट्स के प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का कुडली द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 09.01.2016 के द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा के ख0न0 86 रकबा 4.68 में 0.53 है0 भूमि अधिक, ख0न0 90 रकबा 3.28 है0 में 0.10 है. भूमि अधिक, ख0न0 318/88 रकबा 0.85 है0 में 0.04 है0 भूमि की कमी, ख0न0 319/88 रकबा 0.85 है0 मे 0.04 है भूमि की कमी, ख0न0 87/294 रकबा 1.45 है0 में रकबा 0.36 है0 भूमि की कमी, खसरा नम्बर 482/85 रकबा 0.0225 में रकबा 0.09 है0 भूमि की कमी, खसरा नम्बर 483/85 रकबा 0.05000 में रकबा 0.10 है0 भूमि की कमी प्रस्तावित करते हुये तथ्यात्मक रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक कुडली को पेश की गई। पटवारी हल्का कुडली द्वारा पेश की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर भू0अ0 निरीक्षक कुडली द्वारा तहसीलदार सीकर को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 09.01.2016 में लिपिकिय त्रुटी से ख0न0 87/294 के स्थान पर खसरा नम्बर 87/284 अंकित कर दिया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सीकर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी ख0न0 87/294 के स्थान पर खसरा नम्बर 87/284 अंकित करते हुये संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा इस लिपिकिय त्रुटि मात्र के आधार पर ही अपील प्रस्तुत की गई है तथा कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 87/294 के संबंध में पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। फिर भी उक्त खसरा नम्बर में संशोधन कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई आपत्ति नही की गई है। प्रकरण में वस्तुतः पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 87/294 अंकित है परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त खसरा नम्बर 87/284 सहवन से दर्ज हो जाने के कारण तहसीलदार द्वारा भी उक्त खसरा नम्बर 87/294 अंकित कर संशोधन प्रस्तावित कर दिया गया है। अतः मात्र लिपिकीय त्रुटि के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर पक्षकारो को पुनः लम्बी विधिक प्रकिया में धकेल देना उचित नही है तथा इस न्यायालय के स्तर पर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुये वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 87/284 के स्थान पर खसरा नम्बर 87/294 दर्ज कर संशोधित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का शेष भाग तहसीलदार सीकर के प्रस्तावानुसार यथावत रहेगा।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner